

# FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector, Chamoli

No---

Dated----- 21-06-2021

## To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 9.053 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Works Department Uttarakhand for Extension and improvement of Nandprayag-Ghat motor road in Block Ghat & Karanprayag, District Chamoli under C.M. Ghoshna falls within jurisdiction of Ghat & Nandprayag tehsil.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 9.053 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23 (A).
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

जिला समाज कल्याण अधिकारी  
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी  
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेखर  
(चमोली)

Swati S. Bhadoriya  
District Magistrate  
Chamoli (Uttarakhand)  
जिला अधिकारी  
चमोली

ANNEXURE....

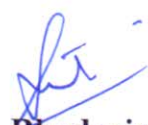
OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR,  
DISTRICT CHAMOLI (UK.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district (Uttarakhand), constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mrs. Swati S. Bhadoriya I.A.S District Magistrate Chamoli (Uttarakhand) on date 21-06-2021 at time 15.00 HRS at ..... in which application claiming rights in Village Kandasu, Sem, Mangrauli, Tefna, Gwala, Thirpak, Kameda & Chamtoli of Tehsil Nandprayag and Siyatoli (Bizar) & Ustoli of tahsil Ghat area measuring 9.053 Hectare for the Extension and Improvement of Nandprayag - Ghat motor road in Distt-Chamoli under hon'ble chief minister proclamation forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of tahsil Ghat & tahsil Nadprayag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;.....Chamoli  
Dated:.....21-06-2021

  
**Swati S. Bhadoriya**  
District Magistrate  
Chairman, District Level  
Committee, Chamoli  
**जिला अधिकारी**  
**चमोली**

  
**जिला समाज कल्याण अधिकारी**  
**चमोली**

  
**प्रभागीय वनाधिकारी**  
**बदीनाथ वन प्रभाग गोपबंद**  
**(चमोली)**

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 797/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, चमोली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत  
प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, नन्दप्रयाग/चमोली

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण हेतु (0.456 हे0 आरक्षित वन भूमि, 6.433 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 6.889 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नन्दप्रयाग) की दिनांक 16/06/2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री हेमन्त कुमार वर्मा, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री हेमन्त कुमार वर्मा उपजिलाधिकारी चमोली अध्यक्ष उप जिलाधिकारी चमोली
- 2- श्री वि.एस.सम्राट उपप्रभागीय वनाधिकारी जे.बी.सिन्हा सदस्य
- 3- श्री सुदीप चौधरी सहायक समाज कल्याण अधिकारी अ.च.। पिण्डर राय सदस्य / सचिव
- 4- श्री दरबान सिंह कोठरी वनाधिकार समिति सदस्य
- 5- श्री हरीनाथ कोठरी वनाधिकार समिति सदस्य
- 6- श्री श्रीमती देवी वनाधिकार समिति सदस्य
- 7- श्री वि.एस.सम्राट वनाधिकार समिति सदस्य

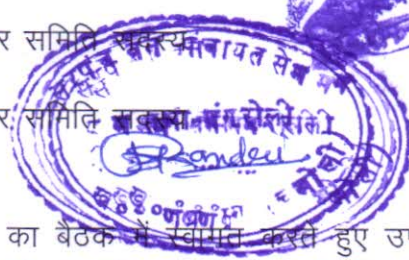


श्रीमती देवी  
सदस्य  
विकास 'वार्ड'  
वि०ख० कर्णप्रयाग (चमोली)

सम्राट  
सरपंच  
वन पंचायत ग्राम चमोली  
जिला-चमोली



- 8- श्री हेमा देवी वनाधिकार समिति सदस्य
- 9- श्री श्रीमती गुरी देवी वनाधिकार समिति सदस्य
- 10- श्री रघुनाथ सिंह वनाधिकार समिति सदस्य



हेमा देवी

श्रीमती गुरी देवी रावत  
मदस्य क्षेत्र पंचायत तेफना  
वि.ख. कर्णप्रयाग, जिला-चमोली

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 797/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण परियोजना हेतु 6.889 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, चमोली द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण परियोजना के निर्माण हेतु 7.162 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

Neel  
उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- नन्दप्रयाग  
जनपद-चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Neel  
उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- नन्दप्रयाग  
जनपद-चमोली

परियोजना का नाम :- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 797/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, घाट/चमोली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत  
प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, घाट

उपखण्ड घाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र घाट में नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण हेतु ( 0.951 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.213 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 2.164 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील घाट) की दिनांक 16/06/2024 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री हेमन्त कुमार वर्मा, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री हेमन्त कुमार वर्मा उपजिलाधिकारी चमोली अध्यक्ष
- 2- श्री मनसुख शर्मा उपप्रभागीय वनाधिकारी अन संत्राधिकार सदस्य
- 3- श्री सुनील मेरी सहायक समाज कल्याण अधिकारी अ. पिण्डर राव सदस्य/सचिव
- 4- श्री मधवीर सिंह वनाधिकार समिति सदस्य अन
- 5- श्री ममता देवी वनाधिकार समिति सदस्य ममता देवी
- 6- श्री अब्बल सिंह वनाधिकार समिति सदस्य अब्बल सिंह
- 7- श्री मलवीर सिंह वनाधिकार समिति सदस्य मलवीर सिंह
- 8- श्री ..... वनाधिकार समिति सदस्य

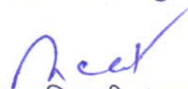
उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 797/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण परियोजना हेतु 2.164 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड घाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण परियोजना के निर्माण हेतु 2.160 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

  
उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- चमोली  
जनपद-चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- चमोली  
जनपद-चमोली

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 797/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:- कण्ठासू, नन्दप्रयाग

तहसील - नन्दप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के तहसील नन्दप्रयाग के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.00 हे0, आरक्षित वनभूमि 0.165 हे0 सिविल सोयम भूमि.....0.00.. हे0 वनपंचायत भूमि अर्थात् कुल 0.165 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कण्ठासू द्वारा दिनांक 16/04/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम.. कण्ठासू के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि ....लोक निर्माण विभाग.... प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह0/-

ग्राम सचिव.....

  
ह0, वार्ड नं-02  
ग्राम पंचायत, नन्दप्रयाग

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रस्तावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रपत्र- 23.1

दिनांक 16/04/21 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कछरासू, नन्दप्रगाँव

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर  |
|---------|--------------------------------------------------|------------|
| 1       | प्रेम सिंह                                       | प्रेम सिंह |
| 2       | मन सिंह                                          | Bhatnagar  |
| 3       | नारन सिंह                                        | Bhambhani  |
| 4       | म. वि. सिंह                                      | Lal        |
| 5       | सुरेश यादव का. अ. अ.                             |            |
| 6       |                                                  |            |
| 7       |                                                  |            |
| 8       |                                                  |            |
| 9       |                                                  |            |
| 10      |                                                  |            |
| 11      |                                                  |            |
| 12      |                                                  |            |
| 13      |                                                  |            |
| 14      |                                                  |            |
| 15      |                                                  |            |
| 16      |                                                  |            |
| 17      |                                                  |            |
| 18      |                                                  |            |
| 19      |                                                  |            |

समासदा बैठक नं० 12  
हो/  
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 797/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:- सेम

तहसील - नन्दप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के तहसील नन्दप्रयाग के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.00 हे0, आरक्षित वनभूमि 0.25 हे0 सिविल सोयम भूमि.....0.00.. हे0 वनपंचायत भूमि अर्थात् कुल 0.25 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सेम द्वारा दिनांक 17/04/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सेम के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह0/-

ग्राम सचिव.....



ह0/-

ग्राम प्रधान

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रस्तावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जाएगा।

दिनांक 17/04/21 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सेग

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर      |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|
| 1       | श्री हुक्कम सिंह कन्देरी                         | हुक्कम         |
| 2       | " जित सिंह कन्देरी                               | जित            |
| 3       | " मोहन सिंह कन्देरी                              | मोहन           |
| 4       | " वीरेन्द्र सिंह कन्देरी                         | वीरेन्द्र      |
| 5       | " रघुनाथ सिंह कन्देरी (सरपंच)                    | रघुनाथ         |
| 6       | श्रीमती पूनम                                     | पूनम           |
| 7       | " दीपा देवी                                      | दीपा देवी      |
| 8       | श्री भारत सिंह कन्देरी                           | भारत           |
| 9       | " रवीन्द्र सिंह कन्देरी                          | रवीन्द्र       |
| 10      | " लखपत सिंह कन्देरी                              | लखपत सिंह      |
| 11      | " प्रेम सिंह नेगी                                | PSneha         |
| 12      | " चन्द्र सिंह कन्देरी                            | चन्द्र सिंह    |
| 13      | श्रीमती कान्ती देवी                              | कान्ती देवी    |
| 14      | " माहेश्वरी देवी                                 | माहेश्वरी देवी |
| 15      | श्री बलवन्त सिंह                                 | बलवन्त सिंह    |
| 16      | " सुरेश साह कान्ति अग्रि                         | सुरेश          |
| 17      |                                                  |                |
| 18      |                                                  |                |
| 19      |                                                  |                |



H0/-  
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 797/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:- मंगरोली  
तहसील - नन्दप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के तहसील नन्दप्रयाग के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.00 हे0, आरक्षित वनभूमि 0.54.5 हे0 सिविल सोयम भूमि.....0.00.. हे0 वनपंचायत भूमि अर्थात् कुल 0.54.5 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मंगरोली द्वारा दिनांक 18/04/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम.. मंगरोली के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि ....लोक निर्माण विभाग.... प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह0/-  
ग्राम सचिव.....

  
समासद, वार्ड नं0-02  
ह0 पंचायत, नन्दप्रयाग  
ग्राम प्रधान

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रस्तावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जाएगा।

दिनांक 18/04/201 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत... मैगरोली

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर     |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|
| 1       | अबुल सिंह                                        | अबुल सिंह     |
| 2       | मंगल सिंह                                        | M. Mangal     |
| 3       | अबुल सिंह                                        | अबुल सिंह     |
| 4       | गजेन्द्र सिंह                                    | गजेन्द्र सिंह |
| 5       | महिपाल सिंह                                      | महिपाल सिंह   |
| 6       | राम सिंह                                         | राम सिंह      |
| 7       | दरवान सिंह                                       | दरवान सिंह    |
| 8       | मोहन सिंह                                        | मोहन सिंह     |
| 9       | वीरेंद्र सिंह                                    | वीरेंद्र सिंह |
| 10      | तेजवीर सिंह                                      | तेजवीर सिंह   |
| 11      | वलवीर सिंह                                       | वलवीर सिंह    |
| 12      | वीजेंद्र सिंह                                    | वीजेंद्र सिंह |
| 13      | जानकी सिंह                                       | जानकी सिंह    |
| 14      | कुकर सिंह                                        | कुकर सिंह     |
| 15      | दीपक गजाली                                       | दीपक गजाली    |
| 16      | मोहन सिंह                                        | मोहन सिंह     |
| 17      | अशोक सिंह                                        | अशोक सिंह     |
| 18      | आनन्द सिंह                                       | आनन्द सिंह    |
| 19      | प्रभाकर सिंह कन्होरी                             | प्रभाकर सिंह  |
|         | राम साठ                                          | राम           |

*Ram*

सभासद, वार्ड नं०-02  
नगर पंचायत, नन्दप्रयाग  
ह०/-  
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 797/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:- तेफना  
तहसील - नन्दप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के तहसील नन्दप्रयाग के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.00 हे0, आरक्षित वनभूमि 0.782 हे0 सिविल सोयम भूमि.....0.00.. हे0 वनपंचायत भूमि अर्थात् कुल 0.782 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तेफना द्वारा दिनांक 18/04/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तेफना के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि ....लोक निर्माण विभाग.... प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह0/-  
ग्राम सचिव मे. 5/11/21



ह0/-  
ग्राम प्रधान

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रस्तावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रपत्र- 23.1

दिनांक 18/04/2021 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत वेफना

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर        |
|---------|--------------------------------------------------|------------------|
| 1       | दयाल सिंह                                        | दयाल सिंह        |
| 2       | वीर सिंह                                         | वीर सिंह         |
| 3       | दरभर सिंह                                        | दरभर सिंह        |
| 4       | सज्ज                                             | सज्ज             |
| 5       | प्रदीप सिंह                                      | प्रदीप सिंह      |
| 6       | सुरेंद्र सिंह                                    | सुरेंद्र सिंह    |
| 7       | कापिल प्रेम सिंह                                 | कापिल प्रेम सिंह |
| 8       | प्रकाश लाल                                       | प्रकाश लाल       |
| 9       | उमडी                                             | उमडी             |
| 10      | सोहन रिंकी                                       | सोहन रिंकी       |
| 11      | पुष्पा उर्वी                                     | पुष्पा उर्वी     |
| 12      | कृष्ण शर्मा                                      | कृष्ण शर्मा      |
| 13      |                                                  |                  |
| 14      |                                                  |                  |
| 15      |                                                  |                  |
| 16      |                                                  |                  |
| 17      |                                                  |                  |
| 18      |                                                  |                  |
| 19      |                                                  |                  |



ह0/-  
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 797/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:- ठवाला

तहसील - नन्दप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के तहसील नन्दप्रयाग के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.00 हे0, आरक्षित वनभूमि 0.548 हे0 सिविल सोयम भूमि.....0.00.. हे0 वनपंचायत भूमि अर्थात् कुल 0.548 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ठवाला द्वारा दिनांक 19/04/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम.. ठवाला के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि ....लोक निर्माण विभाग.... प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

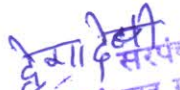
ह0/-  
ग्राम सचिव.....  
  
लोक निर्माण विभाग



ह0/-  
ग्राम प्रधान

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रस्तावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जाएगा।

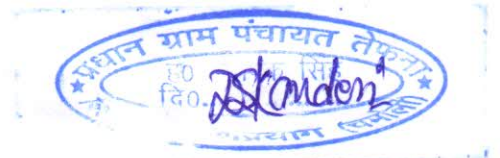
  
सरपंच  
वन पंचायत ग्राम ठवाला  
तहसील नन्दप्रयाग

प्रपत्र- 23.1

दिनांक.....को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत.....गवाला

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर   |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|
| 1       | कुमा देवी                                        | कुमा देवी   |
| 2       | कुमा देवी                                        | कुमा देवी   |
| 3       | कुमा देवी                                        | कुमा देवी   |
| 4       | कुमा देवी                                        | कुमा देवी   |
| 5       | सुरेश कुमार                                      | सुरेश कुमार |
| 6       | मंगल लाल                                         | मंगल लाल    |
| 7       | अरुण कुमार                                       | अरुण कुमार  |
| 8       | दयाल लाल                                         | दयाल लाल    |
| 9       | कुल सिंह                                         | कुल सिंह    |
| 10      | कुमा देवी                                        | कुमा देवी   |
| 11      | कुरेश गाह (J-E)                                  | कुरेश गाह   |
| 12      |                                                  |             |
| 13      |                                                  |             |
| 14      |                                                  |             |
| 15      |                                                  |             |
| 16      |                                                  |             |
| 17      |                                                  |             |
| 18      |                                                  |             |
| 19      |                                                  |             |



ह0/-  
ग्राम प्रधान

कुमा देवी सरपंच  
ग्राम पंचायत गवाला  
पो० तेलना नन्द्रप्रयाग (घमावा)

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 797/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:- खडगोली

तहसील - नन्दप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के तहसील नन्दप्रयाग के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.00 हे0, आरक्षित वनभूमि 0.786 हे0 सिविल सोयम भूमि.....0.00.. हे0 वनपंचायत भूमि अर्थात् कुल 0.786 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खडगोली द्वारा दिनांक 15.04.2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम.. खडगोली के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि ....लोक निर्माण विभाग.... प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह0/-  
ग्राम सचिव.....  
मा0प0वि0अ0  
क्षेत्र-खडगोली  
तहसील-नन्दप्रयाग  
चमोली

क्षेत्र पंचायत सदस्य  
थिरपाक वार्ड  
कर्णप्रयाग (चमोली)



नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रस्तावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जाएगा।

दिनांक 15.04.2021 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत खडगोली

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर         |
|---------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1       | गोविन्द सिंह रावत                                | गोविन्द सिंह रावत |
| 2       | बलराम सिंह                                       | Mamdas            |
| 3       | नरेश सिंह                                        | शिव सिंह          |
| 4       | शिव सिंह                                         | मोहन सिंह         |
| 5       | मोहन सिंह                                        | राजेश             |
| 6       | राजेश रावत                                       | इन्द्र सिंह       |
| 7       | मदन लाल                                          | पुष्कर सिंह       |
| 8       | इंद सिंह                                         | पुष्कर सिंह       |
| 9       | पुष्कर सिंह                                      | पुष्कर सिंह       |
| 10      | पुष्क सिंह                                       | पुष्क सिंह        |
| 11      | विकेश चन्द्र जोशी                                | विकेश             |
| 12      | विश्व चन्द्र शेट्टी                              | विश्व चन्द्र      |
| 13      | दीप                                              | जगत सिंह          |
| 14      | जगत सिंह                                         | मोहन सिंह         |
| 15      | मोहन लाल                                         | मोहन लाल          |
| 16      | जगत चन्द                                         | जगत चन्द          |
| 17      | मूमल सिंह रावत                                   | मूमल सिंह         |
| 18      | पिलवा सिंह रावत                                  | पिलवा सिंह        |
| 19      | विजय लाल                                         | विजय लाल          |

सुरेश माह की. 0. 2021

के. वि. सि. 2021  
के. वि. सि. सदस्य  
धिरपक पाठ  
०० कर्णप्रसाग (चमोली)



ह0/-  
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 797/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:- धिरपाक  
तहसील - नन्दप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के तहसील नन्दप्रयाग के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु <sup>0.456</sup> हे0, आरक्षित वनभूमि 1.688 हे0 सिविल सोयम भूमि.....0.00.. हे0 वनपंचायत भूमि अर्थात् कुल 2.144 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धिरपाक द्वारा दिनांक 12-04-21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम.. धिरपाक के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि ....लोक निर्माण विभाग.... प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह0/-  
ग्राम सचिव.....  
मा0प0वि0अ0  
भे0-12-04-21  
कि0स0

ह0/-  
ग्राम प्रधान.....  
मा0प0वि0अ0  
भे0-12-04-21  
कि0स0

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रस्तावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जाएगा।

दिनांक 12-04-21 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत विरपाक

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर       |
|---------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 1       | वीरेश सिंह (अध्यक्ष दिवांगत हुए - वफादार)        | वीरेश सिंह      |
| 2       | बलकृष्ण सिंह                                     | बलकृष्ण सिंह    |
| 3       | जोग सिंह                                         | जोग सिंह        |
| 4       | उर्मिला देवी महिला अध्यक्ष                       | Smt Urmila Devi |
| 5       | श्री बलवीर सिंह                                  | B.S. Rawat      |
| 6       | श्री कुंवा सिंह                                  | कुंवा सिंह      |
| 7       | रघुवीर सिंह कौन                                  | रघुवीर सिंह     |
| 8       | सुरज कुमार सिंह                                  | सुरज कुमार सिंह |
| 9       | बिनीता देवी                                      | बिनीता देवी     |
| 10      | समरेश कुमार                                      | समरेश कुमार     |
| 11      | पुष्पा देवी                                      | पुष्पा देवी     |
| 12      | सतेश्वरी देवी                                    | सतेश्वरी देवी   |
| 13      | बलपूर सिंह                                       | बलपूर सिंह      |
| 14      | अनिल सिंह                                        | अनिल सिंह       |
| 15      | पिनोरा सिंह                                      | पिनोरा सिंह     |
| 16      | शिव प्रसाद सिंह                                  | शिव प्रसाद सिंह |
| 17      | आशीष कुमार                                       | आशीष कुमार      |
| 18      | Akshay Kumar                                     | Akshay Kumar    |
| 19      | Prem                                             | Prem            |

सुरेश साह को 0 अंक



ह.0. कुमार  
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 797/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:- कभेड़ा

तहसील - नन्दप्रयाग

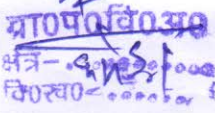
अनापत्ति प्रमाण पत्र

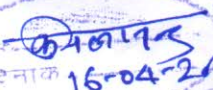
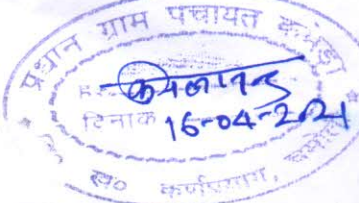
उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के तहसील नन्दप्रयाग के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.00 हे0, आरक्षित वनभूमि, 0.840हे0 सिविल सोयम भूमि.....0.00.. हे0 वनपंचायत भूमि अर्थात् कुल 0.840हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कभेड़ा द्वारा दिनांक 26/04/21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम.. कभेड़ा के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि ....लोक निर्माण विभाग.... प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह0/-  
ग्राम सचिव.....  
  


ह0/-  
ग्राम प्रधान.....  
  


नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रस्तावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जाएगा।

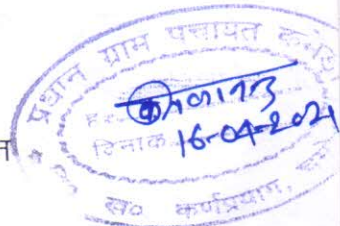
दिनांक 16/04/21 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कमेटी

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर    |
|---------|--------------------------------------------------|--------------|
| 1       | लोधी सिंह                                        | सिंह         |
| 2       | दिलेश्वर सिंह                                    | सिंह         |
| 3       | कनदीप                                            | सिंह         |
| 4       | मंगतराम                                          | मंगतराम      |
| 5       | सुमीली देवी                                      | सुमीली देवी  |
| 6       | राजेश कुमार                                      | राजेश कुमार  |
| 7       | गोविन्द सिंह खली                                 | गोविन्द सिंह |
| 8       | मनोज खत्री                                       | मनोज खत्री   |
| 9       | जयनन्द                                           | जयनन्द       |
| 10      | दिव्यान्शु खत्री                                 | दिव्यान्शु   |
| 11      | हमनन्द                                           | हमनन्द       |
| 12      | कुशलानन्द                                        | कुशलानन्द    |
| 13      | पुष्पातम                                         | पुष्पातम     |
| 14      | आशुतोष                                           | आशुतोष       |
| 15      | भगवती प्रसाद                                     | भगवती प्रसाद |
| 16      | Sonil Kumar                                      | Sonil Kumar  |
| 17      | बुयालकराम                                        | बुयालकराम    |
| 18      | पंकज पुरहित                                      | पंकज पुरहित  |
| 19      | शम्भू प्रसाद सरी                                 | शम्भू प्रसाद |

सुरेश यादव (कीर्ण करि.)

ह0/-  
ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 797/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:- चमतोली

तहसील - नन्दप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के तहसील नन्दप्रयाग के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.00 हे0, आरक्षित वनभूमि 0.829 हे0 सिविल सोयम भूमि.....0.00.. हे0 वनपंचायत भूमि अर्थात् कुल 0.829 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चमतोली द्वारा दिनांक 22/04/21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चमतोली के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि ....लोक निर्माण विभाग.... प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह0/-  
ग्राम सचिव.....  
मा0 00वि0अ0  
क्षेत्र चमतोली  
जिला-चमोली

सरपंच  
वन पंचायत ग्राम चमतोली  
जिला-चमोली

ह0/-  
ग्राम प्रधान  
प्रधान ग्राम पंचायत  
चमतोली  
दिनांक 16-04-2021

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रस्तावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रपत्र- 23.1

दिनांक 22/04/21 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत... चमतोली

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर          |
|---------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 1       | शम्भु प्रसाद                                     | शम्भु प्रसाद       |
| 2       | मोहन प्रसाद                                      | मोहन प्रसाद        |
| 3       | पंकज चन्द सती                                    |                    |
| 4       | भगवती प्रसाद                                     | Bhagwati<br>Prasad |
| 5       | मनोज कुमार                                       |                    |
| 6       | दिगपाल मरा                                       |                    |
| 7       |                                                  |                    |
| 8       | सुन्दर प्रसाद की स्त्री                          |                    |
| 9       |                                                  |                    |
| 10      |                                                  |                    |
| 11      |                                                  |                    |
| 12      |                                                  |                    |
| 13      |                                                  |                    |
| 14      |                                                  |                    |
| 15      |                                                  |                    |
| 16      |                                                  |                    |
| 17      |                                                  |                    |
| 18      |                                                  |                    |
| 19      |                                                  |                    |

सरपंच  
वन पंचायत ग्राम चमतोली  
जिला-चम्पली

ह0/-  
ग्राम प्रधान  
दिनांक 16-04-2021

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 797/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:- सैंतोली, विजार

तहसील - घाट

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के तहसील घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु <sup>0.528</sup> हे0, आरक्षित वनभूमि <sup>0.789</sup> हे0 सिविल सोयम भूमि.....0.00..हे0 वनपंचायत भूमि अर्थात् कुल <sup>1.317</sup> हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सैंतोली द्वारा दिनांक 29/04/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम.. सैंतोली के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि ....लोक निर्माण विभाग.... प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।



ह0/-

ग्राम सचिव.....

[Signature]  
ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत, सैंतोली  
घाट  
19/04/2021

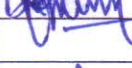
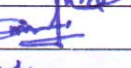
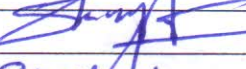
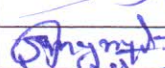
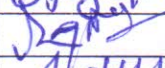
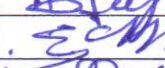
ह0/-

ग्राम प्रधान

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रस्तावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जाएगा।

दिनांक 19/04/21 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत... सैतोली

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | राजे-प्रसिंह रावत                                |    |
| 2       | अवतार सिंह शैलेला                                |    |
| 3       | भारत सिंह रावत                                   |    |
| 4       | गोविंद लाल                                       |    |
| 5       | भकर सिंह                                         |    |
| 6       | अनूप सिंह मनराल                                  |    |
| 7       | अभिषेक मनराल                                     |    |
| 8       | लक्ष्मण सिंह                                     |    |
| 9       | सुरेंद्र सिंह                                    |    |
| 10      | चन्द लाल                                         |    |
| 11      | पुष्पा देवी                                      |   |
| 12      | सुरेंद्र सिंह                                    |  |
| 13      | नरेश सिंह रावत                                   |  |
| 14      | लक्ष्मण सिंह लाल                                 |  |
| 15      | अवतार सिंह रावत                                  |  |
| 16      | भजप चन्द                                         |  |
| 17      | हुकम सिंह                                        |  |
| 18      | रमेश सिंह रावत                                   |  |
| 19      | सुरेन्द्र झा                                     |  |

ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत... बिजौर  
विकास खण्ड... 312



ह0/-  
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 797/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:- उस्ताली  
तहसील - घाट, चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के तहसील नन्दप्रयाग के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.42 हे0, आरक्षित वनभूमि 0.42 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.42 हे0 वनपंचायत भूमि अर्थात् कुल 0.84 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत उस्ताली द्वारा दिनांक 13/05/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम उस्ताली के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह0/-

ग्राम सचिव.....



नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रस्तावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जाएगा।

दिनांक 18/05/21 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत उस्ताली

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर      |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|
| 1       | महोपासिह रावण                                    | महोपासिह       |
| 2       | सुन्दरसिह ठाकुर                                  | सुन्दरसिह      |
| 3       | भुगवती प्रसाद सती                                | भुगवती         |
| 4       | हरिसिह रावण                                      | हरिसिह         |
| 5       | मोहनसिह मण्डारी                                  | मोहनसिह        |
| 6       | लखपतसिह                                          | Lakhpatt Singh |
| 7       | हमनासिह कल्याण                                   | हमनासिह        |
| 8       | राजवरासिह बिह                                    | राजवर सिंह     |
| 9       | नरसिह बिह                                        | Narasimh       |
| 10      | विनोदसिह                                         | विनोदसिह       |
| 11      | हिमनासिह                                         | Himnat Singh   |
| 12      | विक्रमसिह बिह                                    | Vikram Singh   |
| 13      | महोपासिह बिह                                     | Mahopasid      |
| 14      | राजदसिह बिह                                      | राजदसिह        |
| 15      | दलवीर सिंह रावण                                  | दलवीर सिंह     |
| 16      | दलवीर बिह                                        | दलवीर सिंह     |
| 17      | मिश्र सिंह                                       | मिश्र सिंह     |
| 18      |                                                  |                |
| 19      | सुबोध शाह                                        | सुबोध          |

